Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 24–2020] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 16, 2020 (JYAISTHA 26, 1942 SAKA)

PART III

Notifications by High Court, Advertisement, Notices and Change of Name etc.

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला

अधिसूचना

दिनांक 22 मई, 2020

क्रमांक ह०र०कृ०वि०म०/एम०ई०–1ए–3–2020/8441.— पंजाब कृषि उपज मण्डी (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 29 (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल द्वारा अधिसूचित मण्डी यार्ड (मुख्य मण्डी यार्ड एवं उप मण्डी यार्ड में) हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की अनुसूची में दिये गये सभी फल व सब्जियों के कृषि उपज पर एक प्रतिशत 1% की दर से मूल्यानुसार मार्किट फीस तुरन्त प्रभाव से लगाई जाती है। ऐसी कृषि उपज की अधिसूचित मण्डी यार्ड या उप मण्डी यार्ड के बाहर होने वाली खरीद बेच पर कोई मार्किट फीस नहीं लगेगी।

यह अधिसूचना क्रमांक ह०रा०कृ०वि० बोर्ड/एम–ई–1–ए–III–2020/7665 दिनांक 01.05.2020 के अधिक्रमण में जारी की जाती है।

डा० जे गणेशन,
मुख्य प्रशासक,
हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल,
पंचकूला।